<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)</u>

जुलाई, 2019 माह के लिए मासिक सारांश

<u>जुलाई, 2019 माह की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार है:</u>

(क) माननीय मंत्री कौशल विकास और उद्यमशीलता (एमएसडीई) की अध्यक्षता 27 जुलाई, 2019 को गुवाहाटी, असम में कौशल विकास समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के कौशल विकास मंत्री उपस्थित हुए। इस बैठक के कार्यसूची बिंदु थे: अल्पावधि के साथ-साथ दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग और समन्वय, पहुंच में सहायता और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता, राष्ट्रीय कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली के साथ राज्य कौशल विकास मिशन का संरेखण।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कुशल भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ मानने के लिए 15 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया गया। उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई घोषणाएं करने और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से यह दिन महत्वपूर्ण बना।

(ग) विश्व कौशल दिवस अर्थात 15 जुलाई, 2019 के अवसर पर कौशल पखवाड़ा शुरू किया गया था। कौशल पखवाड़ा 16 जुलाई, 2019 से 31 जुलाई, 2019 तक 15 दिनों का अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत कुशल भारत मिशन के तहत देशभर में आकांक्षी/युवा प्रशिक्षकों के लिए सत्र और वर्कशॉप चलाई गईं। कौशल विकास से संबंधित जागरूकता सृजित करने से कौशल पखवाड़ा के तहत कौशल प्रतियोगिता, जुटाव और सलाह शिविर (काउंसिलिंग कैम्प), वर्कशॉप, सत्र आदि गतिविधियां शामिल थी।

(घ) युवा कौशल संवाद नामक द्विसप्ताहिक परामर्शकारी कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र स्तर पर रोजगार ढूंढने वाले युवाओं के दृष्टिकोण और विचारों को समझने तथा मंत्रालय में मौजूदा कार्यक्रमों के निर्माण तथा इसकी परियोजनाओं की समग्र प्रभावकारिता में सुधार में सहायक अवसरों की पहचान करने के लिए किया गया था।

(ङ) केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) की 36वीं बैठक 10 जुलाई, 2019 को आयोजित की गई थी। सीएसी देश में शिक्षुता अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार के सहयोग एवं सलाह हेतु एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। युवा तथा उद्योग, दोनों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण को उत्कृष्ट बनाने के लिए शिक्षुता नियम में अतिरिक्त संशोधन के लिए बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें

शामिल हैं: स्थापनाओं द्वारा शिक्षु नियुक्ति की उच्च सीमा को स्थापना के कुल कर्मचारियों के मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना, बशर्ते कि शिक्षुता के नवीन और कौशल प्रमाणित धारक श्रेणियों के लिए आरक्षित कुल कर्मचारियों में से कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षित किए जाएं, ताकि बड़े उद्योगों में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु ज्यादा से ज्यादा सीटें जोड़ी जा सकें, स्थापना की आकार सीमा को घटाया जा सके और संलग्न शिक्षुओं की क्षमता को 6 से 4 किया जाए ताकि छोटी कंपनियां सक्रिय रूप से शिक्षुओं को प्रोत्साहित और समर्थन कर आगे बढ़ा सकें और उन्हें प्रशिक्षित करें, शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत संलग्न शिक्षुओं हेतु अनिवार्य दायित्वों के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा स्थापनाओं तक पहुंच के लिए स्थापना की आकार सीमा 40 कार्मिकों से घटाकर 30 कार्मिक कर दी गई थी, शिक्षुओं को अनियमित रूप से भुगतान की जाने वाली वृत्ति के समाधान हेतु जो विभिन्न श्रेणी के शिक्षुओं की शैक्षिक अर्हता पर निर्भर थी उसके लिए नियत वृत्ति दर को अनुमोदित किया गया।

(च) औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) स्कीम के अंतर्गत प्रगति: कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 72 अतिरिक्त आईटीआई का चयन किया गया, स्ट्राइव के तहत अब तक कुल 314 आईटीआई का चयन किया जा चुका है। स्ट्राइव के अंतर्गत भाग लेने वाले सभी राज्यों के लिए दिल्ली, भोपाल, बैंगलुरू और कोलकाता में स्ट्राइव के विभिन्न घटकों का आयोजन चौथे संयुक्त समीक्षा मिशन, विश्व बैंक के साथ किया गया। स्ट्राइव पर योजना के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों के साथ कुल 28 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस स्कीम से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर वीडियो कांफ्रेंसिस भी कराई गई।